दिनांक: 3 अगस्त 2023

रोहिणी आयोग की रिपोर्ट

पाठ्यक्रम: जीएस 2 / भारतीय सविंधान और सरकारी नीतियां

संदर्भ-

- हाल ही में, **भारत के राष्ट्रपति को** अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) **उपवर्गीकरण पर न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई**। हालाँकि, **रिपोर्ट का विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया** है।

प्रमुख बिन्दु-

- 1953 **में स्थापित कालेलकर आयोग**, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के **अलावा अन्य पिछड़े वर्गों की** पहचान करने वाला पहला राष्ट्रीय आयोग था।
- 1980 **के मंडल आयोग की रिपोर्ट** के अनुसार, 1257 समुदायों को पिछड़ा माना गया था और ओबीसी की आबादी 52% होने का अनुमान लगाया गया था। मौजूदा कोटा, जो केवल एससी/एसटी पर लागू होता था, को ओबीसी को शामिल करने के लिए 22.5% से बढ़ाकर 49.5% **करने** की सिफारिश की।
- सुप्रीम कोर्ट ने 2008 **में केंद्र सरकार** को ओबीसी के उन्नत वर्ग (क्रीमी लेयर) को बाहर करने का आदेश दिया।
- संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार, **सकारात्मक कार्रवाई नीति में कथित विकृतियों की जांच के लिए न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की स्थापना की गई थी। यह पाया गया कि ओबीसी के** लिए 27 प्रतिशत **कोटा से कुछ जातियों को असंगत रूप से लाभ हुआ।**

ओबीसी के उप-वर्गीकरण की आवश्यकता:-

- ओबीसी की केंद्रीय सूची में 2,600 से अधिक प्रविष्टियां हैं, **लेकिन पिछले कुछ वर्षों में**, एक धारणा ने **जड़ें जमा ली हैं कि उनमें से केवल कुछ समृद्ध समुदायों को कोटा से लाभ हुआ है।**
- इसलिए, **एक तर्क है कि आरक्षण के लाभों के** "समान वितरण" **को सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी** (27% कोटा के भीतर कोटा) का "उप-वर्गीकरण" आवश्यक है।
- 2018 में, **आयोग ने पिछले पांच वर्षों में ओबीसी कोटा के तहत दिए गए** 1.3 **लाख केंद्रीय नौकरियों** और पिछले तीन **वर्षों में विश्वविद्यालयों**, आईआईटी, एनआईटी, **आईआईएम और एम्स सहित केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी प्रवेश के आंकड़ों का विश्लेषण किया।**

आयोग द्वारा 2018 के निष्कर्ष: –

1. सभी नौकरियों और शैक्षणिक सीटों में से 97% ओबीसी के रूप में वर्गीकृत सभी उप-जातियों में से केवल 25% को मिली हैं
2. इनमें से 24.95 फीसदी नौकरियां और सीटें सिर्फ 10 ओबीसी समुदायों को मिली हैं
3. 983 ओबीसी समुदायों – **कुल का 37 फीसदी – नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में शून्य प्रतिनिधित्व पाया गया।**
4. **994 ओबीसी उप-जातियों का भर्तियों और प्रवेश में कुल 2.68% का प्रतिनिधित्व था।**
5. अगस्त 2020 में (पंजाब राज्य बनाम. देविंदर सिंह) की पांच-न्यायाधीशों वाली उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 2005 के फैसले को "ई. वी. चिन्नैया बनाम. आंध्र प्रदेश राज्य की समीक्षा की जानी चाहिए।

ई वी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2005 का फैसला: –

- इसमें कहा गया है कि एससी और एसटी कोटा में उन जातियों या जनजातियों के लिए कोई विशिष्ट उप-कोटा नहीं जोड़ा जा सकता है जो इन सूचियों में अन्य समूहों की तुलना में अधिक वंचित थे।

रोहिणी आयोग के विचारार्थ विषय:

- केन्द्रीय सूची में शामिल ऐसे वर्गों के संदर्भ में अन्य पिछड़े वर्गों की व्यापक श्रेणी में शामिल जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा की जांच करना।
- ऐसे ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तंत्र, मानदंड, और मापदंडों पर काम करना।
- ओबीसी की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों या समुदायों या उप-जातियों या समानार्थक शब्दों की पहचान करने और उन्हें उनकी संबंधित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत करने की कवायद शुरू करें।
- ओबीसी की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना और वर्तनी या प्रतिलेखन की किसी भी पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगतियों और त्रुटियों के सुधार की सिफारिश करना।

ओबीसी के लिए संवैधानिक प्रावधान-

- **अनुच्छेद 15 (5): यह खंड** 2005 में 93 वें संशोधन में **जोड़ा गया था** और राज्य को निजी शैक्षणिक संस्थानों, सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गों या एससी या एसटी के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 16 (4):** यह खंड राज्य को राज्य के किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए सार्वजनिक सेवा में रिक्तियों को आरक्षित करने की अनुमति देता है जो सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
- **अनुच्छेद 16 (4 ब):** संविधान में इस इरादे से संशोधन किया गया था कि योग्य एसईबीसी उम्मीदवारों की कमी के कारण पिछले वर्ष खाली रह गए रिक्त पदों को एससी, एसटी और अन्य समूहों के लिए रिक्तियों की कुल संख्या के अनुपात में अगले वर्ष भरा जाएगा। वंचित वर्गों के लिए 50% आरक्षण के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।
- **अनुच्छेद 340: यह अनुच्छेद** राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए **एक आयोग** नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 338 ब:** यह अनुच्छेद **102 वें संशोधन के** माध्यम से **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।**

रोहिणी आयोग-

- दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जी. रोहिणी के नेतृत्व में आयोग गठित किया गया इनके नाम के कारण ही इसे रोहिणी आयोग नाम दिया गया इसमें चार-सदस्य को शामिल किया गया हैं, आयोग की स्थापना 2 अक्टूबर, 2017 को की गई थी और तब से इसका कार्यकाल 14 बार बढ़ाया जा चुका है।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

- **आयोग के अन्य तीन सदस्य हैं:** (1) नीति अध्ययन केंद्र के निदेशक डॉ. जे.के. बजाज, भारतीय (2)मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता के निदेशक (3) भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त शामिल हैं।
- आयोग की अध्यक्ष जस्टिस जी रोहिणी ओबीसी हैं। अनुच्छेद 340 के अनुसार पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जा सकती हैं।

स्रोत: IE

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न-

प्रश्न- ओबीसी उप-वर्गीकरण पर गठित न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ।

1. इसका कार्यकाल 14 बार बढ़ाया जा चुका है।
2. आयोग का गठन में 7 सदस्य शामिल हैं
3. आयोग की स्थापना अगस्त, 2017 को की गई थी

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) इनमे से सभी
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं 2

उत्तर – (A)

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न –

प्रश्न- रोहिणी आयोग को गठित करने के कारणों को बताते हुए इसके महत्वों पर चर्चा करे?

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है

Rajiv Pandey

भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग

पाठ्यक्रम: जीएस 3 / अर्थव्यवस्था,भौगोलिक संकेतक

संदर्भ-

yojnaias.com

- हाल ही में **चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री** द्वारा सात उत्पादों को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दिया गया । जिनमें शामिल हैं जलेसर धातु शिल्प, गोवा मनकुराड आम, गोवा बेबिंका, उदयपुर कोफ्तगारी धातु कला, बीकानेर काशीदाकारी कला, जोधपुर बंधेज कला और बीकानेर उस्ता कला कला सभी को जीआई चिह्न प्राप्त हुआ है।

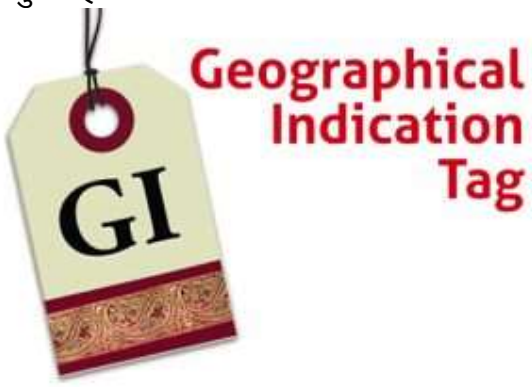

प्रमुख बिन्दु-

उत्पादों के बारे में-

- **जलेसर धातु शिल्प (धातु शिल्प):** उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर क्षेत्र में 1,200 से अधिक छोटी इकाइयाँ, जो कभी मगध राजा जरासंध की राजधानी थीं, जलेसर धातु शिल्प का उत्पादन करती हैं। पीतल के बर्तनों के उत्पादन के अलावा, जलेसर क्षेत्र अपने सजावटी धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है।
- **गोवा मनकुराड आम:** इस आम को उपनिवेशी शासन काल के दौरान पुर्तगाली द्वारा इसका नाम मैल्कोराडा, या "खराब रंग" दिया गया था। समय बीतने के साथ यह शब्द "मानकुराड" आमो के नाम से जाना जाने लगा। कोंकणी भाषा में आमो का मतलब आम होता है।
- **गोवा बेबिंका: गोवा के बेबिंका के लिए:** ऑल गोवा बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स एसोसिएशन ने गोवा बेबिंका के लिए आवेदन जमा किया। यह एक प्रकार का इंडो-पुर्तगाली हलवा मिष्ठान्न है। इसे "गोवा की मिठाइयों की रानी" के उपनाम से भी जाना जाता है।
- **उदयपुर कोफ्टगारी धातु शिल्प**: प्राचीन कोफ्तगारी धातु तकनीक, जिसका उपयोग सजावटी हथियार बनाने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग कला का प्रयोग अभ्यास के रूप में उदयपुर में धातु श्रमिकों द्वारा किया जाता है। इस कला को रूपरेखा देने के लिए उत्कृष्ट नक्काशी डिज़ाइन, इन हथियारों को चुनौतीपूर्ण हीटिंग और कूलिंग प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जाता है। सोने और चांदी के तारों को जोड़ने, इसे मूनस्टोन से दबाने और चपटा करने और फिर इसे चमकाने की जटिल प्रक्रिया के परिणामस्वरूप इस धातु का उत्कृष्ट अलंकरण होता है।
- **बीकानेर काशीदकारी शिल्प:** शादी से संबंधित वस्तुएं, विशेष रूप से उपहार, कढ़ाई के काम का मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता हैं, जिसमें दर्पण के काम का उपयोग किया जाता है।
- **जोधपुर बंधेज शिल्प:** प्रसिद्ध बंधेज जयपुर और जोधपुर में पाए जाते हैं। महिलाएं इस रंग से रंगी हुई साड़ियां और ओढ़नी पहनती हैं। हालाँकि, इस तरह से रंगी गई पगड़ियाँ पुरुषों द्वारा बाँधी जाती हैं। जोधपुर राज्य का सबसे बड़ा बंधेज बाजार है, और सुजानगढ़ (चूरू) वह जगह है जहां सबसे ज्यादा बंधेज का काम होता है। जोधपुरी शिल्पकार तैय्यब खान को उनके जिल्दसाजी कार्य के लिए पद्मश्री दिया गया।
- **बीकानेर उस्ता कला शिल्प:** 1986 में पदमश्री से सम्मानित बीकानेर के स्वर्गीय हिसामुद्धीन उस्ता इस कला के प्रमुख कलाकार थे। बीकानेर में ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुनव्वत का कार्य 'ऊस्तां कला' कहलाता है। यह कला शीशियों, कुप्पियों, आइनों, डिब्बों, मिट्टी की सुराहियों पर भी उकेरी जाती है। बीकानेर का 'कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर' ऊस्तां कला का प्रशिक्षण संस्थान है।

जीआई टैग के लाभ

- उत्पाद कानूनी सुरक्षा, दूसरे पक्षों को बिना प्राधिकरण के जीआई टैग वाले उत्पादों का उपयोग करने से रोकता है।
- यह प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है और उपभोक्ताओं को उनकी इच्छित सुविधाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाले सामान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में जीआई-टैग उत्पादों की मांग बढ़ती है, जिससे उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है।
- एक भौगोलिक संकेत अधिकार उन लोगों के लिए इसे आसान बनाता है जिनके पास संकेत का उपयोग करने का अधिकार है ताकि किसी तीसरे पक्ष को इसका उपयोग करने से रोका जा सके जिसका उत्पाद आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करता है।
- एक संरक्षित भौगोलिक संकेत, हालांकि, धारक को उस संकेत के मानकों में उल्लिखित तरीकों का उपयोग करके दूसरों को सामान का उत्पादन करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं देता है।

भौगोलिक संकेत (जीआई)

- जीआई मुख्य रूप से ऐसे उत्पाद हैं जो या तो निर्मित (हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान), प्राकृतिक, या कृषि मूल के हैं।

- जीआई टैग का उपयोग किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी उत्पाद के मूल स्थान की पहचान करने और उत्पाद की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
- यह उस उत्पाद को दिया जाता है जो कम से कम दस वर्षों से किसी विशेष क्षेत्र में बनाया या उत्पादित किया गया हो।
- औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस समझौता जीआई टैग को बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक घटक के रूप में मान्यता देता है।

शासी नियम

- भौगोलिक संकेत औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के एक घटक के रूप में शामिल हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जीआई बौद्धिक संपदा अधिकारों के** व्यापार-संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के समझौते **द्वारा शासित होता** है।
- भारत में, भौगोलिक संकेत पंजीकरण माल के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 **द्वारा प्रशासित किया जाता है** जो सितंबर 2003 से लागू हुआ था। भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद वर्ष 2004-05 में दार्जिलिंग चाय था।
  - भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 साल की अवधि के लिए वैध है।
  - इसे समय-समय पर 10 साल की अवधि के **लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।**

स्रोत: TH

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न- भारत में किस संस्था द्वारा जीआई टैग जारी करता है?

(a) भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री
(b) गृह मंत्रालय
(c) वाणिज्य मंत्रालय
(d) संस्कृति मंत्रालय

उत्तर: –a

मुख्य परीक्षा प्रश्न- जीआई टैग क्या हैं और इससे होने वाले लाभों की चर्चा करे?

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com